भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 2813**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिये जाने के लिए

तेलंगाना में एसईज़ेड की स्थापना

2813. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेलंगाना के एनएच–44 (नागपुर–हैदराबाद–बंगलुरु), एन॰एच॰–167 (हगारी–रायचूर– महबूबनगर–जडचेरला रोड–मिरयालगुडा–कोदाद) और एनएच–765, एनएच–565, एनएच–365, एनएच–161, एनएच–163, एनएच–30 तथा एनएच–61 आदि जौसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष आर्थिक जोनों/औद्योगिक गलियारों की स्थापना की संभावना की तलाश की है;

(ख) क्या सरकार भारत को एक विनिर्माण और निर्यात केन्द्र बनाने हेतु प्रतिबद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य में विशेष आर्थिक जोन (एसईज़ेड) की प्रस्तावित स्थापना हेतु किसी पैनल/एजेंसी की नियुक्ति की है;

(घ) क्या तेलंगाना राज्य में नए एसईज़ेड की स्थापना हेतु अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आवंटित/मंजूर निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय सरकार द्वारा तेलंगाना में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्यत: निजी निवेश संचालित हैं जिनकी स्थापना केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग की जा सकती है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद-नागपुर और हैदराबाद-वारंगल औद्योगिक कॉरीडोर की स्थापना करने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिस पर राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2017 को

आयोजित बैठक में विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी निश्चय किया गया कि तेलंगाना सरकार परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कर सकती है तथा व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने तथा परियोजना के लिए क्षेत्र में उपलब्ध भूखंडों की पहचान करने के पश्चात् इस मामले को पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है। तेलंगाना सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर भारत सरकार/ एनआईसीडीआईटी द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) : भारत सरकार विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को प्लाट स्तर पर संपूर्ण प्लग एंड प्ले अवसंरचना प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरीडोरों का विकास कर रही है। यह भारत के विनिर्माण एवं निर्यातकर्ता हब बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के कार्यक्रमों में से एक है।

(ग) से (ड.) : एसईजेड मुख्यतः निजी निवेश संचालित पहलें हैं। एसईजेड की स्थापना करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा किसी निधि की मंजूरी नहीं दी जाती है। तथापि, एसईजेड की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित अंतराल में निवेशकों की बैठकें आयोजित की जाती हैं।